

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 02-05-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-985यूटीडी/26-99(37)यूटीडी/25, दिनांक 07-04-2026 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगरीय परिवहन निदेशालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-07-नगरीय परिवहन निदेशालय के विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि ₹ 633.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रु. 566.00 लाख (रु. पाँच करोड़ छियासठ लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदया, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
2	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	09 विद्युत देय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11,00,000 (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
6	037 2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

7	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
8	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
10	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
13	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
14	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
16	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	037	2217058000700 नगरीय परिवहन निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,20,00,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र)
कुल				5,66,00,000 (रुपये पाँच करोड़ छियासठ लाख मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का ध्यान रखा जायेगा और जहाँ आवश्यक होगा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।
- (2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय परिवहन निदेशालय में विधिक/विशेष सेवा का व्यय, परामर्शदात्री की फीस तथा संविदा पर रखे जाने वाले विशेषज्ञों एवं स्टाफ की सेवा प्रदाता एजेन्सी से संविदा पर ली जाने वाली सेवाओं के वर्ष 2026-27 में व्यय/भुगतान के लिए किया जाएगा।
- (4) उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा तथा वेतन भत्तों के भुगतान के लिए प्रतिमाहों की वास्तविक आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष : 2217058000700 (नगरीय परिवहन निदेशालय) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
PARAS NATH
Date: 02-05-2026
15:46:46
(पारस नाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 01 (1)/2026/ 03 (1)/001-9-9099-61-2022 , तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा अनुभाग) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-11
- 7- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
पारस नाथ
अनु सचिव।